

C-
खाते
हेतु आदेश


FORM NO.III

54/2025

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

नामना लाल बनाम कालु
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 54/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17.2.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <input checked="" type="checkbox"/> <u>नामना लाल</u></p> <p>पिता श्री <u>डाक्टर लाल शील</u></p> <p>निवासी- <u>पारालीमा न. भोसल</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>साडेडा (फ.ह. उरपुरा)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर..... <u>28 मी. , 32 , 34</u> <u>187 , 188</u></p> <p>कुल कीता <u>03</u> कुल रकबा <u>5.35</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>साडेडा (फ.ह. उरपुरा)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>28 मी. , 32 , 34</u> <u>187 , 188</u></p> <p>कुल कीता <u>03</u> रकबा <u>5.35</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000</u> रूपये अक्षरे <u>दो हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <div style="text-align: right;">  (वीनू कुमर) सहायक कलक्टर एण्ड उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) </div>